संख्या 18011/2/98-स्था (ग)

भारत सरकार

लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

दिनांक 28 अगस्त, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाओं में समय से स्थायी किया जाना ।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 19 मई, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/2/80-स्था0 (ग) में निहित अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अंतर्विष्ट है कि स्थायीकरण को परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण किए जाने अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के पूर्ण होने के अगले दिन से जैसा भी मामला हो, प्रभावी माना जाना चाहिए । परिवीक्षक को स्थायी करने अथवा परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, के निर्णय की सूचना परिवीक्षक को सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह के अन्दर दे दी जाए । सरलीकरण की दृष्टि से स्थायीकरण की सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक बारगी प्रक्रिया कर दिया गया है तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28-3-88 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/1/86-स्था0 (घ) द्वारा इसे स्थायी पद की उपलब्धता से अलग कर दिया गया है । इन अनुदेशों को इस विभाग के दिनांक 3-8-94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2.011/2/98-स्था0 (ग) के द्वारा दोहराया भी गया था ।

2. उपर्युक्त पैरा में यथा-निर्दिष्ट प्रक्रिया का सरलीकरण कर देने तथा विद्यमान अनुदेशों को दोहराने के बावजूद परिवीक्षा पूरी करने/स्थायीकरण की प्रक्रियागत अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विलम्ब लगातार होता आ रहा है । पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने वर्तमान स्थिति पर गम्भीर रूख अपनाते हुए अन्य बातों के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट के पैरा 124.50 में स्थायीकरण में विलम्ब के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है ।

3. संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1996-97 की अपनी 47वीं वार्षिक रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है :-

"वर्ष 1996-97 के दौरान, स्थायीकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति को 665 अधिकारियों के मामले, 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब होने के बाद, संदर्भित किए गए थे" ।

4. उपर्युक्त के मद्देनज़र, यह पुनः दोहराया जाता है कि परिवीक्षक का स्थायीकरण करने अथवा परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, के निर्णय की सूचना परिवीक्षक को सामान्यत 6 से 8 सप्ताह के अन्दर दे दी जाए । स्थायीकरण में कोई विलम्ब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा का पालन करने के लिए समय रहते ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाए ।

2/-.....

5. जहां अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही को संघ लोक सेवा आयोग के पास अनुमोदनार्थ भेजा जाता होता है , जैसा कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक मार्च 14, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39011/2/5/75-स्था0 (घ) उपबंधों में निर्दिष्ट है । ये अनुदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए जाएंगे ।

6. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों के सख्ती से अनुपालन किए जाने हेतु इन्हें अपने नियंत्रणाधीन सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें ।

शान्ता उपाध्याय,
(श्रीमती शान्ता कन्नोपाध्याय)
निदेशक
दूरभाष : 3015589

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार।

(ii) गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।

(iii) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

(iv) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

(v) सदस्य कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे-सी-एम-)

(vi) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का ए0 आई0 एस0 प्रभाग।

(vii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सी0 एस0 प्रभाग ।

(viii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ, नई दिल्ली ।